

देवघर समाहरणालय
(जिला भू अर्जन शाखा)

—: अधिसूचना :-

अधिसूचना संख्या ...54.../भू अ०

दिनांक : 17/1/18

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-जमुनियांटांड, थाना-देवघर, थाना सं०- 604, अंचल-मोहनपुर, जिला-देवघर में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना देवघर बाईपास (रिंग रोड) पथ निर्माण परियोजना हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम- जमुनियांटांड, थाना-देवघर, थाना सं०-604, अंचल-मोहनपुर, जिला-देवघर में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 4.19 एकड़ मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है—

क. सं.	खात सं.	सर्वे भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	56	रैयती	धानी-3	0.01	जयराम महतो पे० स्व० लुटन महतो सा० देह।	दाग सं०	दाग सं०	मौजा कर्ण कोल	मौजा तैतरिय I
2	1	55	रैयती	धानी-3	0.05	रूपलाल महतो वो सत्यनारायण महतो वो सूर्य नारायण महतो पे० स्व० रघुनन्दन महतो वो चन्द्रावती देव्या पति स्व० भूतनाथ महतो वो सुमंती देव्या पति स्व० रामदेव महतो 1/6 अंश वो प्रदीप महतो पे० स्व० रुसन महतो वो सुनिता देव्या पति स्व० सुनिल महतो 1/6 अंश वो सावित्री देवी पति स्व० भैरो महतो वो विरमा देवी वो धनेश्वरी देवी पे० स्व० भैरो महतो 1/6 अंश समान सा० देह।	66, 18, 21, 19 अंश	66, 56, 55, 47, 77 अंश		
3	1	47	रैयती	बाड़ी-2	0.18	रूपलाल महतो वो सत्य नारायण महतो वो सूर्य नारायण महतो पे० स्व० रघुनन्दन महतो वो चन्द्रावती देव्या पति स्व० भूतनाथ महतो वो सुमंती देव्या पति स्व० रामदेव महतो वो सुनीता देव्या पति स्व० सुनिल महतो वो सावित्री देवी पे० स्व० भैरो महतो वो विरमा देवी वो धनेश्वरी देवी माता सावित्री देवी वो लगनी देवी पे० स्व० गनेश महतो अंश वो जलेश्वर महतो वो गंगा देवी पे० स्व० दुधन महतो वो चिन्ता देवी पे० बाबुलाल महतो वो दुबलाल महतो पे० स्व० मोटकी महतो वो प्रमीला देवी वो सुमन देवी वो कृष्णा देवी वो जयप्रकाश यादव पे० जगदीश महतो वो मालती देवी पति जगदीश महतो वो संजय यादव वो धनंजय यादव पे० जगदीश महतो वो पावित्री देवी वो शंकर देवी पे० नूनमनी महतो वो चन्द्रावती देवी पति छेदी महतो वो कौशल्य देवी वो बलदेव महतो वो जामुन महतो वो सुरेश महतो वो हरि महतो वो बसंती				

						देवी पे० स्व० छेदी महतो वो जवाहर महतो वो गोवर्धन महतो वो राधा महतो वो बलराम महतो वो मोतीचन्द महतो वो तिलीत महतो वो राधिका देवी पे० स्व० टेकलाल महतो वो अयोध्या महतो पे० स्व० पांचू महतो वो बच्चु महतो पे० मिसरी महतो वो विमला देवी पे० स्व० वकील महतो वो जयराम महतो पे० स्व० लदुन महतो वो सुकदेव महतो वो सुरेश महतो पे० स्व० फागु महतो सा० देह।				
4	1	31	रैयती	बाड़ी-2	0.03	तथैव।				
5	1	25	रैयती	बाड़ी-2	1.01	तथैव।				
6	1	16	रैयती	बाड़ी-2	0.90	तथैव।				
7	2	50	रैयती	धानी-3	0.15	काशी महतो वो प्रयाग महतो पे० स्व० खिखर महतो सा० देह।				
8	2	29	रैयती	बाड़ी-2	0.12	तथैव।				
9	2	20	रैयती	बाड़ी-2	0.32	तथैव।				
10	2	49	रैयती	धानी-3	0.08	मुशो महतो वो चानो महतो पे० स्व० केटु महतो वो सुनैना देवी वो मुन्ना देवी उर्फ अनिता देवी पे० स्व० गोविन्द महतो 1/2 अंश वो ठाकुर महतो वो राधेश्याम महतो वो भिखारी महतो उर्फ बिहारी महतो पे० स्व० भागु महतो 1/2 अंश सा० देह।				
11	2	48	रैयती	बाड़ी-2	0.13	तथैव।				
12	2	51	रैयती	धानी-3	0.01	तथैव।				
13	2	19	रैयती	बाड़ी-2	0.02	तथैव।				
14	2	22	रैयती	बाड़ी-2	0.005	तथैव।				
15	2	15	रैयती	बाड़ी-2	0.025	तथैव।				
16	2	3	रैयती	बाड़ी-2	0.50	हरखू महतो वो पौचा महतो पे० खुदी महतो जमाबंदी रैयत				
17	2	21	रैयती	बाड़ी-2	0.65	तथैव।				
कुल रकवा-					4.19					

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता-सह-समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा कय/विकय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न

करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधीत इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियों हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।



समाहर्ता-सह-उपायुक्त,
देवघर।

ज्ञापांक 54 / भू अ0, देवघर, दिनांक 17/1/18

प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, मोहनपुर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि देवघर जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने का कृपा करें।



समाहर्ता-सह-उपायुक्त,
देवघर।